न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत, आर०ए०एस०

प्रकरण सं० 33/अपील/18 तारीख दायरा 08.02.18

रमेश आ० शंकर कहार निवासी पृथ्वीपुरा तहसील अकलेरा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 07.11.17 मि०न० 1864/17

उपस्थितः– श्री अमर सिंह अभिभाषक अपीलान्ट

—:: **निर्णय** ::— दिनांकः 03.05.2018

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 07.11.17 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील अकलेरा के ख०न० 13 व 14 की 15 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 525/ रूपये अर्थदण्ड व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व जवाबदेही, साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया उक्त आराजी पर से अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ा जा चुका है—अपीलान्ट द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा दिया गया है—अपीलान्ट का अब राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिकृण नही है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है—अपीलान्ट भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटाने एवं भविष्य में फिर से अतिक्रमण नही करने बाबत आश्वस्त किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अकलेरा वकील अपीलान्ट द्वारा कहे गये कथनों का सत्यापन कर लें। यदि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है, लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलान्ट द्वारा मौके से कब्जा नही हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड